प्रेस नोट संख्या- 16

दिनांक 11.03.2025

सराहनीय कार्य थाना मोहनगंज, थाना इन्हौना व स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी

ग्राम निधि खातों व स्वच्छ भारत मिशन के खातों से साइबर धोखाधड़ी करके धन निकासी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज श्री राकेश सिंह मय हमराह, उ0नि0 अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी मय हमराह व उ0नि0 अमरेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष इन्हौना मय हमराह की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 04 संदिग्ध व्यक्तियों 1.अमरेश कुमार पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम तेंदुआ थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष, 2.आदित्य पुत्र चित्रपाल निवासी ग्राम पूरे गेंदई थाना अमेठी जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष, 3.शिवपूजन यादव पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम बंदीपुर थाना मल्लावा जनपद हरदोई उम्र 23 वर्ष, 4.सिरताज अहमद उर्फ सिराज अहमद पुत्र स्व0 मुमताज अहमद निवासी ग्राम काजीपट्टी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 31 वर्ष को समय करीब 09:19 बजे प्रातः पुलिस हिरासत में लिया गया । तलाशी से अमरेश के पास से 01 अदद लैपटाप (लेनेवो कं0), 01 अदद मोबाइल (वीवो कं0) व 1500 /-रु0 नकद, आदित्य के पास से 01 अदद मोबाइल (वीवो कं0) व 600 /- नकद, शिवपूजन यादव के पास से 02 अदद डोंगल DSC, 01 अदद मोबाइल (वीवो कं0), 1000 /-रु0 नकद, 01 अदद बैग, बैग के अन्दर 02 अदद चेकबुक एक्सिस बैंक व एचडीएफसी बैंक शिवपूजन के नाम से, 01 अदद पासबुक यूनियन बैंक आदित्य के नाम से, सिरताज अहमद उर्फ सिराज अहमद के पास से 01 अदद मोबाइल (ओप्पो कं0) व 1700 /-रु0 नकद बरामद हुए।

पूछताछ में अमरेश कुमार उपरोक्त ने बताया पहले हम संविदा पर ब्लाकों में काम करते थे जहां हमारा डीपीआरओ कार्यालय के बाबू सिराज अहमद उर्फ सिरताज अहमद से परिचय हो गया जो कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। हमें सिराज अहमद ने बताया कि किसी दोस्त के नाम से एक डोंगल बनवा लो फिर आगे मैं काम बताता रहूंगा। फिर मैंने अपने दोस्त शिवपूजन यादव के आधार कार्ड व पैन कार्ड से रजिस्टर्ड करके एक फर्जी डोंगल बनवा लिया। सिराज अहमद द्वारा पेमेंट का पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता था जिससे हम लोगों नें पेमेंट शिवपूजन के नाम से शांती आयुर्वेदा एसोसिएट्स एचडीएफसी बैंक खाते में लाखों रुपये डाल लिये थे। उन पैसों को धन ब्रोकर शेयर मार्केट में लगा दिया था।

अमरेश कुमार उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 05.03.2025 को हम सभी ने मिलकर सिराज अहमद की मदद से इन्हौना ग्राम प्रधान के खाते से 9,85,000 /-रु0 शांती आयुर्वेदा एसोसिएट्स खाते में ट्रांसफर कर लिये थे। जिसमें से शिवपूजन द्वारा 9,50,000 /-रु0 हमें नकद दे दिये गये थे जिसमें से 50,000 /-रु0 का हमने लैपटाप(लेनेवो कं0) ले लिया था शेष 9,00,000 /-रु0 अपने साले आदित्य उपरोक्त के अकाउण्ट में जमा कर दिये थे और आदित्य को बताया कि उक्त रुपये ग्राम पंचायत इन्हौना के खाते से निकाले गये हैं जिसमे से 5,00,000 /-रु0 धन डीमैट अकाउण्ट में डाल देना जो फायदा होगा आपस में बांट लेंगे। शेष रुपये में से 10,000/- रुपये खर्च हो गये हैं। दिनांक 07.03.2025 को हम चारों ने मिलकर ग्राम पंचायत रस्तामऊ के

केन्द्रीय वित्त खाते से तीन बार में कुल 14,60,775 /-रु0 निकालने के लिये ट्रांजेक्शन किया था जिसमें से एक ट्रांजेक्शन 85,775 /-रु0 का कैंसिल हो गया था जिससे हमें कुल 13,75,000 /-रु0 प्राप्त हुए थे जो शिवपूजन उपरोक्त के खाते में डाल दिये थे। जिसमें से शिवपूजन ने 45,000 /-रु0 अपने एक्सिस बैंक के खाते में ट्रांसफर कर लिया था। शेष रुपये में से 25,000 /-रु0 खर्च हो गये थे। शेष रुपये शिवपूजन के खाते में जमा हैं। सिरताज अहमद उर्फ सिराज अहमद ने बताया कि मैंने यूजर आईडी व पासवर्ड अमरेश को बताया था बदले में यह तय हुआ था कि जो भी रुपये मिलेंगे उसका 40 प्रतिशत मैं लूंगा। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अमरेश कुमार पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम तेंदुआ थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष।
2. आदित्य पुत्र चित्रपाल निवासी ग्राम पूरे गेंदई थाना अमेठी जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष।
3. शिवपूजन यादव पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम बंदीपुर थाना मल्लावा जनपद हरदोई उम्र 23 वर्ष।
4. सिरताज अहमद उर्फ सिराज अहमद पुत्र स्व0 मुमताज अहमद निवासी ग्राम काजीपट्टी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी-

- 02 अदद चेक बुक, 01 अदद पासबुक, 01 अदद लैपटाप, 02 अदद डोंगल, 04 अदद मोबाइल, कुल 4800 /-रु0 नकद।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 05/25 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
- मु0अ0सं0 63/25 धारा 318(4), 111, 316(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोहनगंज- राकेश सिंह (प्रभारी निरीक्षक), उ0नि0 जितेन्द्र कुमार आर्यन, का0 दीपक कुमार, का0 सुनील।

थाना इन्हौना- अमरेन्द्र सिंह (थानाध्यक्ष), का0 अभिषेक यादव, का0 शेरुम अंसारी।

स्वाट/सर्विलांस टीम- उ0नि0 अनूप सिंह (प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम), हे0का0 आलोक सिंह, हे0का0 आशीष कुमार चौहान, का0 मनीष, का0 सिकन्दर खान।

अभियुक्त सिरताज अहमद उर्फ सिराज अहमद का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 31/18 धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

नोटः- ***उक्त साइबर धोखाधड़ी में निकाली गयी धनराशि को लगभग शत प्रतिशत रिकवर कर लिया गया है जिसे अमेठी पुलिस द्वारा विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराया गया है।***